न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या –05/2024

राजस्थान राज्य जरिये बनाम तहसीलदार शाहपुरा, जिला शाहपुरा।	श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी शंकर सिंह राजपूत निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।
–प्रार्थी	–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. विभागीय पैरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री शिव सिंह चारण अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.07.2024

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम चलानिया पटवार मण्डल लूलास में की आराजी नम्बर 551/5 में से कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि विपक्षी को मिसल संख्या 98/86 दिनांक 03.01.1986 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गयी। जिसका नामा०सं० 889 दिनांक 09.07.1987 से रेकार्ड में गैर खातेदारी अमल दरामद हुआ है जिसके नये आराजी नम्बर 631 रकबा 1.08 हैक्टयर बने हैं। ग्राम चलानिया की उक्त आराजी नम्बर 631 रकबा 1.08 हैक्टयर किस्म भूमि पेटा विपक्षी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात पेटा होकर भराव/डूब क्षेत्र में है। उक्त आराजियात अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित है। पेटा क्षेत्र होने से प्रतिवन्धित श्रेणी में है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पात्रता नहीं रखने से विपक्षी का आवंटन खारीज योग्य है। अतः विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर विलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 18.08.2021 को दायर की जाकर दिनांक 30.01.2024 को प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से दर्ज किया जाकर उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाव प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

3. विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन नसवन्दी ऑपरेशन योजना के तहत राजस्व ग्राम चलानिया पटवार हल्का

जिला कलक्टर
शाहपुरा

लूलास की आराजी नम्बर 551/5 में से रकबा 05 बीघा भूमि जवावदाता को जरिये मिसल संख्या 98/1986 दिनाक 03.01.1986 को आंवटित हुई। आंवटन होने से उक्त भूमि जवाबदाता को सिपुर्दगी पर सिपुर्द की गई और राजस्व रेकार्ड मे गैर खातेदारी दर्ज की गई। जिसके हाल आराजी नम्बर 631 रकबा 01.08 हैक्टयर भूमि है। आवंटित होने के उपरान्त से ही जवाबदाता उक्त भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना करते हुए काबिज होकर फसल काश्त करते चली आ रही है, जिसकी खसरा गिरदावरी की प्रति पेश है, उक्त भूमि पर जवाबदाता ने कुआ खुदवाया, जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। फसल सुरक्षा के लिए जाली तारबन्दी करवा रखी है। वर्ष 2008 मे जवावदाता ने लोन लेकर भूमि सुधार करवाया और काश्त करती चली आ रही है। आवंटन कमेटी ने पूर्ण जांच करके ही उक्त भूमि जवाबदाता को आवंटित की है। वक्त आवंटन उक्त भूमि की किस्म बिलानाम थी। जो स्वंय आवंटन पत्रावली में है। प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे साबित होता हो कि वक्त आवंटन उक्त भूमि पेटा काश्त रही हो। हस्तगत मामले पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार न्यायिक दृष्टान्त लागू नहीं होता है। क्योंकि आवंटन के वक्त उक्त भूमि पेटा काश्त की नही थी। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र एवं संलग्न मौका रिपोर्ट में कही भी यह अंकन नहीं है कि उक्त भूमि पर कौनसा तालाब है, अथवा ऐसे तालाब का निर्माण कव हुआ और हस्तगत भूमि के साथ साथ और कौनसी भूमि पेटा है और न ही ऐसा कोई नक्शा ही प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा पूर्णतया आवंटन की शर्तो की पालना की गई है। नोन कमाण्ड क्षेत्र में भूमि आंवटन पर कोई रोक नहीं है। इसलिए जवाबदाता का आंवटन खारीज होने योग्य नही है। अतः निवेदन है कि जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम चलानिया पटवार मण्डल लूलास में की आराजी नम्बर 551/5 में से कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गयी। जिसके नये आराजी नम्बर 631 रकबा 1.08 है० हैं। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात पेटा होकर डूव क्षेत्र में है। उक्त आराजियात अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित हैं। पेटा क्षेत्र होने से प्रतिबन्धित श्रेणी में है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पात्रता नही रखने से अप्रार्थी का आवंटन खारीज योग्य है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

5. विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन नसबन्दी ऑपरेशन योजना के तहत राजस्व ग्राम चलानिया की आराजी नम्बर 551/5 में से रकबा 05 बीघा भूमि जवावदाता को जरिये मिसल संख्या 98/1986 दिनाक 03.01.1986 को आंवटित हुई। जिसके हाल आराजी नम्बर 631 रकबा 01.08 हैक्टयर भूमि है। आवंटन कमेटी ने पूर्ण जांच करके ही उक्त भूमि विपक्षीया को आवंटित की है। वक्त आवंटन उक्त भूमि की किस्म विलानाम थी। जो स्वंय आवंटन पत्रावली में है। प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे साबित होता हो कि वक्त आवंटन उक्त भूमि पेटा रही हो। हस्तगत

जिला कलक्टर
शाहपुरा

मामले पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार न्यायिक दृष्टान्त लागू नहीं होता है क्योंकि अलोटमेन्ट के वक्त भूमि की किस्म पेटा की नहीं थी। आवंटन के वाद से ही विपक्षी उक्त भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना करते हुए काविज होकर दोनों फसल काश्त करते चली आ रही है, जिसकी खसरा गिरदावरी की प्रति पेश है। उक्त भूमि पर विपक्षी ने कुआ खुदवाया। जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, फसल सुरक्षा के लिए जाली तारवन्दी करवा रखी है वर्ष 2008 मे विपक्षी ने लोन लेकर भूमि सुधार करवाया और काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र एवं संलग्न मौका रिपोर्ट में कही भी यह अंकन नहीं है कि उक्त भूमि पर कौनसा तालाव है, अथवा ऐसे तालाव का निर्माण कव हुआ और हस्तगत भूमि के साथ साथ और कौनसी भूमि पेटा है और न ही ऐसा कोई नक्शा ही प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा पूर्णतया आवंटन की शर्तों की पालना की गई है। है। अतः श्रीमान् से निवेदन है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाव पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं वहस पर मनन किया गया। अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में जो आदेश दिया है उक्त आदेश अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर आवंटन निरस्तीरकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त निर्णय में कहा गया है कि "All land shown as Drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as govt. land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly." इस प्रकरण में वर्ष 1947 की स्थिति वावत तहसीलदार ने कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि आराजी नम्वर 631 रकवा 01.08 हैक्टयर भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त हैं। परन्तु भूमि की किस्म पेटा दर्ज होने से एवं भराव क्षेत्र में आने से वर्णित भूमि की श्रेणी में आती है। प्रार्थना पत्र में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करना वताया गया है। जवकि पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट में मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। उक्त आराजियात मे विपक्षी दोनों फसलें काश्त करके आंवटित भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रतियों से होती है। इस प्रकार आवंटी आंवटित भूमि को कब्जा काश्त कर आंवटित शर्तो की पालना कर रही है तथा उक्त भूमि की किस्म पेटा होने से एवं भराव क्षेत्र में आने का तथ्य है तो अगर उक्त भूमि किसी वांध/तालाव के भराव क्षेत्र मे होती तो विपक्षीगण उक्त आंवटित भूमि पर दोनों फसले काश्त नहीं कर सकती थी। इसलिये जरूरी नहीं है की भूमि की किस्म पेटा होने मात्र से ही उक्त भूमि भराव अथवा वहाव क्षेत्र में आती हो। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम

जिला कलक्टर
शाहपुरा

1970 की आवंटन शर्तों की पालना किया जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) अस्वीकार योग्य ठहरता है। अतः

आदेश

7. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार कर किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

8. निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा